न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :— पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र :— 54/2025

वादीनी :—

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री कुशाला राम उम्र 42 वर्ष निवासी मेघवालों का बास ग्राम झंवर तहसील झंवर जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण :—

1. पुखराज पुत्र श्री भोमाराम,
2. तुलछी पत्नी श्री भोमाराम,
3. मगाराम पुत्र श्री भोमाराम,
4. बीजाराम पुत्र श्री केहराराम, जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालों का बास झंवर जिला जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : —

1. वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन दवे।
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

दिनांक :— 26-8-2025

—: आदेश :—

वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद (54/2025) बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम निम्बली, तहसील झंवर के खसरा नंबर 297 कुल रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें वादिनी अपने हक हिस्से में 2429/21044 में बतौर मालिक एवं खातेदार संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है तथा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है।

वाद में प्राथमिक डिकी दिनांक 28.07.2025 को किया जारी किया गया एव तहसीलदार झंवर को बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाडा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झवंर के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाडा प्रस्ताव पत्र कमांक कॉर्ट/2025/273 दिनांक 20.08.2025 को पेश किया गया। वादिनी का भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज (जमाबंदी दिनांक 18.08.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार झवंर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 20.08.2025 मय मौका फर्द दिनांक 18.08.2025 को की गई जिसके आधार पर वादिनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार झवंर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है —

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

क्र. स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान
1.	1. लक्ष्मी देवी पत्नी कुशाला राम जाति मेघवाल सा मेघवालों का बास झंवर खातेदार	297	2.1044	बा.।।।	0.33
	कुल खसरें	01	**2.1044**	**बा.।।।**	**0.33**
2.	1. पुखराज पुत्र भोमाराम, हिस्सा 13/46 2. तुलछी पत्नी भोमाराम, 13/46 3. मगाराम पुत्र भोमाराम, 05/46 4. बीजाराम पुत्र केहराराम, 15/46 जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालों का बास झंवर जिला जोधपुर।	297/1 297/2	0.6070 1.2545	बा.।।। बा.।।।	0.82 1.71
		02	**1.8615**	**बा.।।।**	**2.53**

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण संयुक्त खातेदार होने के कारण वादिनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 18.08.2025 के अनुसार विभाजन कर वादिनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। बंटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 18.08.2025 डिकी का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी